Allotment Grid Report

वत्तीय वर्ष:-**2016-2017**

आवंटन दिनांक-**05/05/2016**

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-19 FFDA ALLOTMENT 2016-17
अनुदान संख्या:- 17 कृ ष तथा अन्य सम्बद्ध वभाग (मत्स्य)(वत्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
01 - मत्स्य पालन वकास अ धकरण को सहायता

(धनरा श रु. में)

S.No.	अ धकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप - निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	30600 30600	395000 395000	425600 425600
2	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	23400 23400	2472800 2472800	2496200 2496200
3	इलाहाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	33500 33500	1200000 1200000	1233500 1233500
4	इलाहाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --17-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - इलाहाबाद	वर्तमान प्रगामी	40000 40000	2583400 2583400	2623400 2623400
5	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	44000 44000	2283000 2283000	2327000 2327000
6	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	38900 38900	2198000 2198000	2236900 2236900
7	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --13-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - वाराणासी	वर्तमान प्रगामी	60000 60000	707000 707000	767000 767000
8	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --09-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - गोरखपुर	वर्तमान प्रगामी	42300 42300	2779600 2779600	2821900 2821900
9	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	69400 69400	3452600 3452600	3522000 3522000
10	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --27-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - बस्ती	वर्तमान प्रगामी	27600 27600	3621000 3621000	3648600 3648600
11	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप - निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	79500 79500	2054800 2054800	2134300 2134300
12	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - ब लया	वर्तमान प्रगामी	45000 45000	2370000 2370000	2415000 2415000

13	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	71500 71500	3357500 3357500	3429000 3429000
14	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	99000 99000	5022000 5022000	5121000 5121000
15	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --28-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - लखनऊ	वर्तमान प्रगामी	41500 41500	2690000 2690000	2731500 2731500
16	फैजाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	37400 37400	2580000 2580000	2617400 2617400
17	फैजाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	69000 69000	2448000 2448000	2517000 2517000
18	फैजाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	68600 68600	1450000 1450000	1518600 1518600
19	फैजाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --08-मु0 कार्यकारी अ धकारी- मत्स्य - फैजाबाद	वर्तमान प्रगामी	78800 78800	2276000 2276000	2354800 2354800
	योग	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	45940700 45940700	46940700 46940700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ उनहत्तर लाख चालीस हजार सात सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ उनहत्तर लाख चालीस हजार सात सौ

(राजकुमार गुप्ता)
वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
लखनऊ,फैजाबाद,इलाहाबाद,गोरखपुर,बरेली,वाराणसी,
आजमगढ़,मेरठ एवं बस्ती।

पत्रांक– 982 /लेखा शा0/बजट/2016–17 **दिनांक : 05.05. 2016**

विषय– अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक –2405–मछली पालन–आयोजनेत्तर –190–सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 बजट आवंटन ।

महोदय,

शासनादेश संख्या– 11/2016/812/सत्रह–म0–2016, 11–1(4)/2006, दिनांक 05.05.2016 द्वारा स्वीकृत वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–17 लेखाशीर्षक–2405– मछलीपालन– आयोजनेत्तर 190–सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता योजनान्तर्गत_के अन्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन एतद्द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :–

1–आवंटित धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों एवं स्टोर पर्चेज नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो , उन मामलों में स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। आवंटित धनराशि के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जाय।

3. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों का विशेषरूप से अनुपालन किया जाय।

4. आय–व्यय विवरण प्रत्येक माह की 6 तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाय।

5. 20–सहायता अनुदान (गैर वेतन) से किये जाने वाले व्यय जैसे यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय,लेखन सामाग्री, टेलीफोन, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल/डीजल आदि की क्रय की मदों में समय–समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, इस सम्बन्ध में व्ययों को प्राधिकृत करने वाले अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

6. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः 2/पर

8. उ0प्र0 बजट मैनुअल में यह स्पष्ट किया जाता है आहरण वितरण अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें की व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल निदेशक मत्स्य के माध्यम से वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय।

9. धनराशि का आहरण कर बैंक खातें में न रखा जाय। एन0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि लाभार्थी के खाते में नियमानुसार स्थानान्तरित की जाय।

10– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आहरण वितरण अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरणों हेतु आवंटित धनराशि का एक मुश्त आहरण कर किसी मत्स्य पालक विकास अभिकरण को उपलब्ध नहीं करायेगें,बल्कि मासिक आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय की संस्तुति से सन्तुष्ट होते हुए ही आवंटित धनराशि का आहरण करें, इस सम्बन्ध में मैनुअल के प्रस्तर बी0एम0–12 के वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

11 .उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्यय के अनुदान संख्या– 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405– मछली पालन–आयोजनेत्तर, की योजना, 190–सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं,0101–मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता(जिला योजना) (के075/रा025 के0+रा0) मानक मद 20–सहायकता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) 31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

उक्त आवंटन का अंकन बजट कन्ट्रोल रजिस्टर के पृष्ठ सं0 –21 पर किया गया है।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

(राज कुमार गुप्ता)
वित्त एवं लेखाधिकारी
मत्स्य निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।

पत्रांक– /लेखा शा0/बजट/2016–17 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0,इलाहाबाद।

2–प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3–सचिव,मत्स्य उत्पादन अनुभाग,उ0प्र0शासन लखनऊ

4–मुख्य कार्यकारी अधिकारी,मत्स्य पालक विकास अभिकरण,लखनऊ,उन्नाव, रायबरेली,फैजाबाद, गोण्डा, सुल्तानपुर,बाराबंकी,इलाहाबाद,प्रतापगढ़,बदायॅू,गोरखपुर,देवरिया,आजमगढ़,बलिया,वाराणसी,जौनपुर,गाजीपुर,मेरठ ,एवं बस्ती।

5–कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ,फैजाबाद,इलाहाबाद,गोरखपुर,बरेली,आजमगढ़,वाराणसी,मेरठ,एवं बस्ती।

6–सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी,उ0प्र0।

(राज कुमार गुप्ता)
वित्त एवं लेखाधिकारी
मत्स्य निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।